यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी** के माह 07/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2016 से 07.12.2016 तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विरेन्द्र सिंह रावत, लेखापरीक्षक, श्री राजेंन्द्र कुमार जोगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.2014 से 06.06.2014 तक श्री ए.सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2011 से 06/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह 07/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- निर्माण कार्य - पौड़ी

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2013-14	0.00	1065.69	181.49	177.89	1265. 87	1061.79	----	3.60	1355.76
2014-15	0.00	1355.76	196.68	195.43	788.94	966.75	----	125.52	1179.95
2015-16	0.00	1177.95	275.65	195.63	1412.51	1343.73	-----	80.02	1246.73

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (-)/बचत (+)
2013-14	1. दैवी आपदा	---	41.80	41.30	0.50
	2. रा.मा.शि.अ.	---	278.00	212.30	65.70
	3. सांसद निधि	---	32.00	29.50	2.50
	4. अंबेडकर भवन	---	76.93	12.90	64.03
	5. उद्यान सचल दल केन्द्र	---	31.20	13.90	17.30
2014-15	1. दैवी आपदा	0.50	62.80	46.10	17.20
	2. रा.मा.शि.अ.	65.70	181.19	144.70	102.19
	3. सांसद निधि	2.50	21.40	11.60	12.30
	4. अंबेडकर भवन	64.03	---	16.60	47.40
	5. उद्यान सचल दल केन्द्र	17.30	---	17.30	---
2015-16	1. दैवी आपदा	17.20	5.80	19.70	3.30
	2. रा.मा.शि.अ.	102.19	51.70	102.59	51.30
	3. सांसद निधि	12.30	---	5.30	7.00
	4. अंबेडकर भवन	47.40	---	20.76	26.64

(III) इकाई को बजट राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य निष्पादन हेतु आवंटित किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए श्रेणी-A की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, तपोवन मार्ग रायपुर रोड़, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, एजेंसी मोहल्ला, निकट, थाना परिमंडल, पौड़ी गढ़वाल।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, विकास भवन, पौड़ी

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी** (को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2015 एवं 05/2016 को विस्तृत

जांच हेतु चयनित किया गया। रा. एलोपैथिक चिकित्सालय, कल्जीखाल में आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण, बहुउद्देशीय कार्यालय भवन, नगर पालिका पौड़ी का निर्माण एवं कस्तूरबा गांधी आदर्श बालिका छात्रावास, त्रिपालीसैण का निर्माण का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में 19.11.2014 से 22.11.2014 तक निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी 03/2016 की गयी है तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2015 तक की गई।

5. फार्म 51- माह 11/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है।

भाग प्रथम- ` 12425551

भाग द्वितीय- ` 8603615

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ` 1239645

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नगद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप - ` 87100681

(ङ) भण्डार - शून्य

भाग-III

(इस भाग के विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
59/2014-15	---	1,2
66/2011-12	1	1
18/2010-11	---	1,2
31/2009-10	---	1
72/2006-07	---	1,2,3 a,b,c,d

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय।)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उक्त प्रस्तरों की अनुपालन आख्या द्वारा अधीक्षण अभियन्ता की टिप्पणी के साथ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी उक्त प्रस्तरों में प्रतिवेदन संख्या 72/2006-07 के प्रस्तर सं. 2 (पृष्ठ 200, कुंजी दस्तावेज फाइल VOL-II) को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अन्य प्रस्तरों को यथावत रखने की संस्तुति की जाती है। प्रस्तर पर लेखापरीक्षा दल को टिप्पणी पृष्ठ 244,202,200,198 तथा पृष्ठ संख्या 196 पर अंकित है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

लेखापरीक्षा दल द्वारा किसी भी निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर-1- ` 69.99 लाख का अधोमानक निर्माण।

कस्तूरबा गाँधी आदर्श बालिका विद्यालय, तिरपालीसैंण के भवनों का अवशेष कार्य से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु प्रेषित पुनरीक्षित आगणन (अवशेष कार्यो हेतु) के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरांत अनुमोदित धनराशि ` 54.77 लाख की प्राविधिक स्वीकृति पत्र सं.- 28 दिनांक 31.05.2013 द्वारा तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र सं.- 266/XXIV(1)/2013 दिनांकः 15.03.2013 द्वारा निम्न शर्तें के अधीन प्रदान की गयी।

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर उतनती ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचरिकताये तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को संपादित कराना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
5. आगणन में प्रविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं.-2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
7. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

पूर्व में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक 1683 दिनांकः 31.10.2008 द्वारा ` 23.10 लाख की स्वीकृति भूतल के निर्माण कार्य हेतु प्रदान की गयी थी, इस प्रकार कुल ` 77.87 (23.10+54.77) लाख की उक्त कार्य हेतु प्रदान की गयी। कस्तूरबा गांधी आदर्श बालिका विद्यालय, तिरपालीसैंण के भवनों का अवशेष कार्य के संबंध में श्री दलीप सिंह गुसाईं, से अनुबंध सं.- 10/अधि.अभि./2013-14 दिनांकः 26.09.2013 द्वारा ` 48.05 लाख के अनुबंध का गठन

किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 26.09.2013 व कार्य समाप्ती की तिथि 25.09.2014 थी एवं आतिथि तक ` 69.99 लाख का कुल व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छात्रावास के प्लान के अनुसार विद्यालय भवन के बायी तथा दायी तरफ शौचालय/बाथरूम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परंतु शौचालय केवल बायी तरफ बनाया गया एवं कमरों की माप मानचित्रानुसार नहीं था, पुनः जाँच यह भी पाया गया कि छात्रावास की ऊपरी मंजिल की छत बरसात में टपक रही थी एवं निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में नहीं कराया गया था तथा निर्माण कार्य ग्राहक विभाग को आतिथि तक हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई अपने उत्तर में बताया गया कि स्थल उपलब्धता के अनुरूप तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता कि मौखिक सहमति पर भवन कि बायी तरफ ही शौचालय निर्माण कार्य किया गया एवं निर्माण कार्य सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में नहीं किया गया था तथा निर्माण कार्य के हस्तांतरण हेतु प्रपत्र संबंधित विभाग को प्रेषित किए गए हैं व हस्तांतरण प्रपत्र अप्राप्त था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आगणन के प्रविधानित डिजाइन में परिवर्तन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गयी थी एवं निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में नहीं किया गया था तथा कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्राहक विभाग द्वारा निर्मित कार्य को ग्रहण नहीं किया गया।

अतः ` 69.99 लाख के अधोमानक निर्माण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- ` 12.39 लाख विगत 02 वर्षों से अधिकारियों, फर्मों, ठेकेदारों एवं विभागों के विरूद्ध वसूली एवं समायोजन हेतु शेष रहना।

प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका की अभिलेखों की जांच करने पर यह देखा गया है कि अधिकारियों, फर्मों, ठेकेदारों एवं विभागों के विरूद्ध विगत 02 वर्षों से कुल 12.36 लाख की धनराशि समायोजन/वसूली हेतु पड़ी थी, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	**अग्रिम पंजिका की धनराशि जिनके विरूद्ध पड़ी हैं**	**वर्ष जब से धनराशि प्रकीर्ण में डाली गयी है**	**धनराशि**
1.	अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध	1979	` 551661.00
2.	फर्मों के विरूद्ध	03/1999	` 536709.00
3.	ठेकेदारों के विरूद्ध	09/1980	` 132524.00
4.	विभागों के विरूद्ध	---	` 18750.00
कुल			**` 1239644.00**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछा गया कि इतने लम्बे समय से धनराशि का समायोजन/वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि मुख्यता सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण को चुका है। समय-समय पर फर्मों, ठेकेदारों एवं विभागों को वसूली/समायोजन हेतु पत्राचार किया जा रहा है। वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अतः ` 12.39 लाख अधिकारियों, फर्मों, ठेकेदारों एवं विभागों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	ई. शिव मोहन सिंह रावत	अधिशासी अभियन्ता	30.08.2014 तक
2.	ई. दिनेश चन्द्र पंत	अधिशासी अभियन्ता	30.08.14 से 16.09.14
3.	ई. अनिल कुमार	अधिशासी अभियन्ता	16.09.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	श्री राजेश बंदूनी	अधिशासी अभियन्ता	18.10.2016 तक
2.	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	अधिशासी अभियन्ता	18.10.2016 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)